न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 03/17 निर्णय दिनांकः— 14.09.2018

1. मूल सिंह पुत्र बक्सीसिंह जाति राजपूत निवासी नापासर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. नत्थुसिंह
2. मालसिंह
3. भोपाल सिंह

पिसरान हमीर सिंह जाति राजपूत निवासी नापासर तहसील व जिला बीकानेर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर
दिनांक 20—12—2016

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री ओम चाण्डक, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कॉसनिया, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20—12—2016 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत जाकर डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि जोकि मौजारोही नापासर के पुराना खसरा नम्बर 481 तादादी 11 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 488 तादादी 16 बीघा, खसरा नम्बर 791 तादादी 28 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 806/2 तादादी 16 बीघा 9 बिस्वा कुल तादादी 72 बीघा 5 बिस्वा अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के संयुक्त खाते की भूमि रही है। जिसके बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 805 तादादी 2.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 824 तादादी 1.73 हेक्टर, खसरा नम्बर 1384 तादादी 2.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 1386 तादादी 4.24 हेक्टर कुल तादादी 10.92 हेक्टर पैमूद हुए है। वादगत् भूमि पर अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त की भूमि है तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि के आज दिनांक तक खातेदार काश्तकार है। वादगत् भूमि जमाबन्दी संवत् 2037 से 2040 में फतेहसिंह व मूलसिंह पिसरान बक्सीराम बहिस्सा बराबर अर्थात 1/2 हिस्सा तथा नत्थूसिंह, मालसिंह व भोपालसिंह पिसरान हमीरसिंह बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा दर्ज है। इसीप्रकार मिसल बन्दोबस्त संवत् 2050 से 2059 में भी उपरोक्त इन्द्राज है। फतेहसिंह लाऔलाद फौत हो चुका है। इसलिए उसके हिस्से की भूमि मूलसिंह में निहित हुई है। इस प्रकार प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट/ रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खाते की भूमि रही है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्/वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करते हुए यह इस्तदुआ की गई थी कि वादगत् संयुक्त खाते की भूमि है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त के अनुसार आई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि को विभाजित करते हुए वाददीगण को 1/2 हिस्से में आई भूमि का कब्जा दिलाया जावे। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट/वादीगण स्वयं ने अभिलिखित किया है कि अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स किया जावे। अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

प्रकरण में अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष काऊन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा उक्त काऊण्टर क्लेम में बिना साक्ष्य लिये व बिना तनकी कायम किये ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23—08—2005 को दावा, जवाब दावा व काऊण्टर क्लेम के आधार पर प्रकरण में तनकीयात् कायम की गई।

जिसमें तनकी संख्या 1 कायम की गई कि आया वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 बहिस्सा बराबर 1/2—1/2 अभिलिखित संयुक्त खातेदारी भूमि है तथा संयुक्त कब्जे काश्त में होने से वादीगण अपने 1/2 हिस्से की जमीन तकसमें में पाने के हकदार है? तनकी संख्या 2 कायम की गई कि आया दिनांक 16—07—2003 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के शांतमय कब्जे काश्त में मजासम्मत की है? तनकी संख्या 3 कायम की गई कि आया कि हस्ब इस्तदुआ वादी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व चिर निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के हकदार है? तनकी संख्या 4 कायम की गई कि आया कि तथाकथित वाद में लिखी रिलीज फर्जी व विधि विरूद्व है, इसका वाद पर क्या असर है? तनकी संख्या 5 कायम की गई कि आया कि भूमि जैर वाद, प्रतिवादी संख्या 1 जरिये काऊण्टर क्लेम अपनी खातेदारी में दर्जै करवाने का हकदार है? तनकी संख्या 6 कायम की गई कि आया कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के खिलाफ चिर निषेधाज्ञा की डिक्री काऊण्टर क्लेम के माध्यम से पाने का हकदार है? तनकी संख्या 7 कायम की गई कि पक्षकारानर किस सहायता के पात्र है?

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में नियमानुसार वादपत्र, जवाब दावे व कांऊण्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात को कायम कर दी गई, परन्तु उक्त तनकीयात् का अपने निर्णय में किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है। जबकि दावे का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि वादपत्र पर नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए साक्ष्य व सबूत का विवेचन करते हुए आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत होता हैं अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 30—11—2016 को एकतरफा तौर पर बहस सुनकर प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई। प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वादगत् भूमि के बाबत् एक अन्य दावा समान भूमि व समान पक्षकारों के मध्य अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए व सपठित धारा 136 एलआर एक्ट के तहत अन्य न्यायालय एसीएम न्यायालय के समक्ष जैरकार चल रहा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक साथ निर्णित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को भी दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है। प्रकरण में वादीगण द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए अदालत मातहत से आदेश जैर अपील प्राप्त किया गया है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए बिना किसी युक्तियुक्त कारण के तहसीलदार बीकानेर को वादगत् भूमि का मौका कमिश्नर नियुक्त कर पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से के कब्जे काश्त अनुसार खाता व लगान पृथक पृथक कायम किये जाकर उनकी भूमियों को नक्शें में अलग—अलग रंगों में दर्शातें हुए प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा पत्रावली का अध्ययन, मनन, विश्लेषण किये बिना स्वेच्छाधारी रूप से पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे प्रकरण में नियमानुसार तनकीयात कायम करते हुए, पक्षकारों को साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए कायम की गई तनकीयात का विस्तृत विवेचन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज बक्सीसिंह, हमीरसिंह पुत्रगण जवाहरसिंह की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें बक्सीराम का 1/2 हिस्सा तथा हमीर सिंह का 1/2 हिस्सा निहित है तथा दोनों पक्षकार के मध्य वादगत् भूमि कब्जे व अधिकार में चली आ रही थी।

दोनों पूर्वजों का देहान्त होने पर बक्सीराम के उत्तराधिकारी तीन पुत्र बचनसिंह, फतेहसिंह व मूलसिंह हुए। बचनसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा फतेहसिंह लाऔलाद फौत हो चुका है इसी प्रकार हमीर सिंह के तीन पुत्र नत्थूसिंह, मालसिंह व भोपालसिंह हुए। इस प्रकार वादगत् भूमि की वंश वंशावली निम्न प्रकार हैः—

	बक्सीराम			हमीर सिंह	
बचनसिंह	फतेहसिंह	मूलसिंह	नत्थूसिंह	माल सिंह	भोपालसिंह
भंवरसिंह	लाऔलाद फौत	प्रति सं. 1	प्र.वादी 2	प्र.वादी 3	प्र.वादी 4

इसप्रकार वादी पक्षकारों के मध्य वादगत् भूमि बहिस्सा बराबर अर्थात 1/2 —1/2 हिस्सा निहित होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि अदालत मातहत के समक्ष काऊण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था, जिसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है नाही उसका दावे पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव पड़ना था। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत काऊण्टर क्लेम पर अपना कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष निरन्तर उपस्थित आते रहे है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार प्रतिवादीगण/अपीलांट को तलब किये जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 26—08—2003 को अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 26—10—2004 को जवाब दावा मय काऊण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 18—05—2005 को जवाब काऊण्टर क्लेम पेश किया गया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 24—06—2006 को शहादत वादी बंद की गई। इसके पश्चात् दिनांक 24—03—2007 को अदालत मातहत द्वारा वादी की दिनांक 24—06—2006 को बंद की गई शहादत खोली गई। जिसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी खारिज होने पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जाहिर किया गया कि उनका सम्पर्क प्रतिवादी पक्षकार से नहीं है। इस पर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड समन तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं

आने पर एकतरफा कार्यवाही की गई। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा वाद प्रक्रिया को अपनाते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है।

प्रकरण में जहॉ तक अन्य दावे का प्रश्न है उक्त दावें में समान पक्षकार नहीं है दावा भिन्न पक्षकारों के मध्य जैरकार है। जिसका उक्त प्रकरण से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए व राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत के आदेश से किसी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। अपीलांट द्वारा मात्र तकनीकी आधार का सहारा लेते हुए प्रकरण को अनावश्यक रूप से विलम्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खाते की भूमि है। जिस पर सभी का 1/2 –1/2 हिस्सा निहित है तथा अदालत मातहत द्वारा भी आदेश जैर अपील के माध्यम से तहसीलदार बीकानेर को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से के कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन व लगान पृथक पृथक कायम किये जाकर उनकी भूमियों को नक्शें में अलग–अलग रंगों में दर्शाते हुए प्रस्ताव तैयार करने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत के उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार के हक व हकूकों व अधिकारों का हनन नहीं होना है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में वादगत् आराजी मौजारोही नापासर के पुराना खसरा नम्बर 481 तादादी 11 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 488 तादादी 16 बीघा, खसरा नम्बर 791 तादादी 28 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 806/2 तादादी 16 बीघा 9 बिस्वा कुल तादादी 72 बीघा 5 बिस्वा अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के संयुक्त खाते की भूमि रही है। जिसके बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 805 तादादी 2.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 824 तादादी 1.73 हेक्टर, खसरा नम्बर 1384 तादादी 2.53 हेक्टर, खसरा

नम्बर 1386 तादादी 4.24 हेक्टर कुल तादादी 10.92 हेक्टर पैमूद हुए है के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 20—12—2016 को वाद को निर्णित करते हुए डिक्री पारित की गई। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी भूमि चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट्/वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करते हुए यह इस्तदुआ की गई थी कि वादगत् संयुक्त खाते की भूमि है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त के अनुसार आई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि को विभाजित करते हुए वाददीगण को 1/2 हिस्से में आई भूमि का कब्जा दिलाया जावे। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट/वादीगण स्वयं ने अभिलिखित किया है कि अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स किया जावे। अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

(3) इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से प्रथम बिन्दु यह उभर कर सामने आता है कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23—08—2005 को दावा, जवाब दावा व काऊण्टर क्लेम के आधार पर प्रकरण में तनकीयात् कायम की गई।

जिसमें तनकी संख्या 1 कायम की गई कि आया वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 बहिस्सा बराबर 1/2—1/2 अभिलिखित संयुक्त खातेदारी भूमि है तथा संयुक्त कब्जे काश्त में होने से वादीगण अपने 1/2 हिस्से की जमीन तकसमें में पाने के हकदार है?

तनकी संख्या 2 कायम की गई कि आया दिनांक 16–07–2003 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के शांतमय कब्जे काश्त में मजासम्मत की है?

तनकी संख्या 3 कायम की गई कि आया कि हस्ब इस्तदुआ वादी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध चिर निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के हकदार है?

तनकी संख्या 4 कायम की गई कि आया कि तथाकथित वाद में लिखी रिलीज फर्जी व विधि विरूद्व है, इसका वाद पर क्या असर है?

तनकी संख्या 5 कायम की गई कि आया कि भूमि जैर वाद, प्रतिवादी संख्या 1 जरिये काऊण्टर क्लेम अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने का हकदार है?

तनकी संख्या 6 कायम की गई कि आया कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के खिलाफ चिर निषेधाज्ञा की डिक्री काऊण्टर क्लेम के माध्यम से पाने का हकदार है?

तनकी संख्या 7 कायम की गई कि पक्षकारानर किस सहायता के पात्र है?

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही किये जाने को युक्तियुक्त मान भी लिया जावे तब भी अदालत मातहत को उनके द्वारा कायम की गई तनकीयात का विस्तृत विवेचन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना न्यायपरक होता।

अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश दिनांक 20–12–2016 में स्वमेव यह माना है कि प्रकरण में दावा, जवाब दावा व काऊण्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात् कायम की गई। उक्त तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना कोई विवचेन अंकित नहीं करते

हुए मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

(4) इसी प्रकार प्रस्तुत मामलें में यह बिन्दु भी दौराने बहस व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत हुआ कि समान पक्षकारों के मध्य समान भूमि को लेकर अन्य उनवान भंवर सिंह बनाम फतेहसिंह आदि जैरकार चल रहा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे दोनों प्रकरणों की एकसाथ सुनवाई करते हुए निर्णय पारित किया जाता। ऐसी स्थिति में एक समान प्रकरण में भिन्न–भिन्न निर्णय की संभावना/प्रवृति से बचा जा सकता था।

(5) प्रकरण में वादगत् भूमि के बाबत् पक्षकारों के हक व हकूकों का निर्धारण उसी स्थिति में संभव था जब अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार सहादत लेते हुए, सभी पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वमेव कायम की गई तनकीयात का विवेचन किया जाता। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रक्रिया को अपनाये बिना व वादगत् भूमि के बाबत् कब्जा काश्त की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

(6) प्रस्तुत मामलें में हमने अदालत मातहत की आदेशिकाओं का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपनी आदेशिकओं के विपरीत जाकर ना तो पक्षकारों की साक्ष्य ली गई ना ही किसी भी तनकी का निर्णय किया गया, ना ही काऊण्टर क्लेम का निस्तारण किया गया। जबकि अदालत मातहत द्वारा कायम की गई तनकी संख्या 5 काऊण्टर क्लेम पर आधारित थी। ऐसी स्थिति में समस्त प्रकरण में यह स्थिति उभर कर सामने आती है कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार वादपत्र में वाद प्रक्रिया को अपनाये बिना, मात्र प्रकरण के निस्तारण के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश व डिक्री दिनांक 20—12—2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण वादप्रक्रिया को अपनाते हुए नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए साक्ष्य व सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारों को जरिये अधिवक्ता निर्देशित किया जाता है कि वे अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 01—01—2018 को उपस्थित आवे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14.09.2018 को लिखाया जाकर
सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर